राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

दायर दिनांक–20.12.2018

राजस्व वाद संख्या 101/2018

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. कुनणाराम पुत्र गोदू उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

----वादी

वनाम

1. सुगनाराम पुत्र गोदु उर्फ गोदुराम जाति जाट निवासी पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान
2. बैंक ऑफ वड़ोदा शाखा रूपनगढ जरिये शाखा प्रवन्धक।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान

----प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 8.8.2022

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सुगनाराम पुत्र गोधु उर्फ गोदुराम
दोनों सगे भाई हैं जिनके संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पेतृक कृषि आराजी ग्राम पनेर तहसील रूपनगढ
जिला अजमेर में निम्न खसरा नम्बरान की आराजी स्थित है–खाता संख्या नया 67 पुराना 57 खसरा नम्बर 174/1
रकबा 19–06–00 वीघा, खाता संख्या नया 41 पुराना 39 खसरा नम्बर 55 रकबा 15–05–00 वीघा ग्राम दरडून्द
तहसील रूपनगढ के खाता संख्या नया 23 पुराना 13 खसरा नम्बर 2/1 रकबा 10–00–00 वीघा स्थित है। उक्त
आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/2 हिस्सा निहित है। इसी अनुसार वादी एवं
प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से की आराजी में काविज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी
का सगा छोटा भाई है तथा वाद अधीन आराजी का रिकॉर्ड में वंटवारा किया हुआ नही है किन्तु मौके पर दोनों
भाईयों द्वारा अलग–अलग काश्त करने हेतु वांट रखी है तथा वाद पत्र में वर्णित ग्राम पनेर की आराजी के चार
हिस्से हो रखे है जिसमें खसरा नम्बर 174/1 में पश्चिम दिशा में उत्तर की तरफ वादी का हिस्सा है तथा पूर्व दिशा
में दक्षिण की तरफ वादी का हिस्सा मौके पर वांट रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का पश्चिम दिशा में दक्षिण की
ओर तथा पूर्व दिशा में उत्तर की ओर हिस्सा आया हुआ है अर्थात दोनों भाइयों के पास दो–दो टुकड़े बंटे हुए है।
खाता संख्या नया 41 पुराना 39 खसरा नम्बर 55 रकबा 15–05–00 वीघा की आराजी में उत्तर से दक्षिण की ओर
दो हिस्से हो रखे है। पूर्व का हिस्सा वादी के पास है और पश्चिम दिशा का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में
आया हुआ है। ग्राम दरडून्द तहसील रूपनगढ के खाता संख्या नया 23 पुराना 13 खसरा नम्बर 2/1 रकबा
10–00–00 वीघा आराजी के भी 4 हिस्से हो रखे है। इस आराजी के पश्चिमी उतरी कोने पर वादी का हिस्सा है
तथा इसी प्रकार पूर्वी दक्षिणी कोने पर वादी का हिस्सा तथा उतरी कोने पर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा तथा
दक्षिणी कोने पर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा आया हुआ है। उसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी
संख्या 1 की नियत में फर्क आया हुआ है। वह आये दिन वादी को वाद अधीन आराजी के अपने हिस्से में अर्थात्
1/2 हिस्से में प्रत्येक आराजी में काश्त करने में दिनांक–30.05.2018 को जब खेत बुवाई करने लगे तब ही झगड़ा
फसाद कर लिया किन्तु वादी ने भाई होने के नाते किसी तरह का कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। वादी
द्वारा ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 174/1 में अपने हिस्से अनुसार फसल काश्त कर ली किन्तु ग्राम पनेर के खसरा
नम्बर 55 एवं ग्राम दरडून्द के खसरा नम्बर 2/1 में फसल काश्त नहीं करने दी गई जबकि प्रत्येक आराजी में
वादी का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 वाद अधीन आराजी ग्राम पनेर के खसरा
नम्बर 55 एवं ग्राम दरडून्द के खसरा नम्बर 2/1 की संपूर्ण आराजी में अपने जानवर चरा रहा है। वादी के द्वारा
इंन्कार करने पर झगड़ा फसाद करने को उतारु हो जाता है। ऐसी परिरिथति में वादी द्वारा उक्त आराजी का
झगड़ा फसाद करने के वजाय अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी का वंटवारा कर, नाप–चोक कर नया
खाता, खसरा नम्बर कायम कर, लगान का वंटवारा कर एवं प्रतिवा[illegible] स्थायी निपेधाज्ञा डिकी से पावंद
करावे कि वह वादी के हिस्से में वंटवारे के वाद आयी आराजी [illegible] की दखलंदाजी नही करे, किसी
प्रकार का झगड़ा फसाद नही करे, वादी के उपय[illegible] 1 व उसके परिजन, नौकर चाकर
आदि को स्थायी निपेधाज्ञा से पावंद नही किया गया तो वादी को अपूर्तनी[illegible] होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से
मूल्य में संभव नही हो सकेगी तथा वाद वाहुल्य वचेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhahwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:04:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

परिस्थिति में वादी द्वारा उक्त वाद वास्ते बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु करना आवश्यक हुआ। वाद
न आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में रहन रखकर लोन लिया
है इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया है।
करण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन
मिलशुदा प्राप्त हुए। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री गौरीशंकर बियाणी ने जवाब
प्रस्तुत किया। उभयपक्ष के अधिवक्तागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि
बंटवारा किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नही है। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक
डिक्री की पालना में तहसीलदार रूपनगढ से दिनांक–11.02.2020 को कमिश्नरी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर
उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 14.10.2021 को ग्राम दरडून्द की कृषि भूमि में
रास्ता नहीं रखने बाबत् आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार
रूपनगढ को मौका रिपोर्ट रास्ते दर्शाते हुए तैयार करने हेतु लिखा गया। उक्त पत्र की पालना में
तहसीलदार रूपनगढ द्वारा पुनः कमीश्नरी रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। तदनुसार प्रकरण में अंतिम
डिक्री जारी की जाकर रिकॉर्ड में निम्नानुसार अंकन करने के आदेश दिये जाते है–

ग्राम–दरडुन्द

क0 स0	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा (है0)	किस्म
1	कुनणाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट स्था0 पनेर खातेदार	329/2/2 329/2/4	0.3975 0.3975	बा0 3 बा0 3
		कुल किता 2	0.7950	
2	सुगनाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट स्था0 पनेर खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ	329/2/3 329/2/1	0.3975 0.3975	बा0 3 बा0 3
		कुल किता 2	0.7950	
3	कुनणाराम पुत्र गोदूराम हि0 1/2 व सुगनाराम पुत्र गोदूराम हि0 1/2 जाति जाट स्था0 पनेर खातेदार राहिन सुगनाराम का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ	329/2/5	0.0280	बा0 3

तदनुसार अंतिम डिक्री पत्रावली जारी हो। कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अंतिम डिक्री का भाग होगा। प्रतिवादी संख्या 01 व उसके परिजन, नौकर चाकर को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के हिस्से मे बंटवारे के बाद आदी आराजी मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे किसी प्रकार का झगड़ा फसाद नही करे, वादी के उपयोग व उपभोग मे बाधा कारित नही करे।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:04:58 IST
Reason: SelfAttested